

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2258/239

दिनांक:09.10.2023

सेवा में,

श्री शेराराम पुनिया,
पूनिया ऑटो बैट्रीज एण्ड एलैक्ट्रीकल्स, राठी कॉम्प्लेक्स,
बांगड कॉलेज के सामने, स्टेशन रोड, डीडवाना,
जिला नागौर (राजस्थान) मो. न. 9829707270)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2023 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2023 के तहत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना चाही है । इस अनुसार आपके द्वारा मांगी गई जानकारी पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है) से सम्बंधित है जो बिंदुवार निम्न है:

क्रम सं०	मांगी गयी जानकारी	पावरग्रिड द्वारा बिंदुवार जानकारी
1	राजस्व ग्राम भवदिया तहसील डीडवाना की सरहद में पावरग्रिड की बिजली लाईन निकाली जा रही है का आदेश की प्रमाणित प्रति व उक्त राजस्व ग्राम की सरहद में कितने टावर लग रहे है।	वर्तमान में पावरग्रिड की 765 के. वी. बादला-1। - सीकर-1। 2 nd लाईन राजस्व ग्राम भवदिया तहसील डीडवाना की सरहद से गुजर रही है जिसकी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है व उक्त राजस्व ग्राम की सरहद में लाईन के 05 टावर लग रहे है।
2	उक्त लाईन की आबादी क्षेत्र व राजकीय चिकित्सालय से कितनी दूरी होती है, न्युनतम दूरी बतायें।	नियमों व मानको के अनुसार, लाइन के सेंटर से भवन के बीच की न्यूनतम दूरी 33.5 मीटर होनी चाहिए।
3	बिजली टावरो के बीच कितनी दूरी है।	बिजली टावरो की दूरी, भू-तल से तार की न्युनतम दूरी के आधार पर तय की जाती है। अतः यह दूरी भू-तल की सतह के Terrain पर निर्भर है। सामान्यतः यह 300 से 400 मीटर के बीच होती है।
4	बिजली टावर का निर्माण किया जाता है उस खेत मे टावर लगाने व तार खींचने की मुआवजा दर क्या है।	बिजली टावर का निर्माण किया जाता है उस खेत मे टावर लगाने व तार खींचने दौरान अपरिहार्य क्षति/फसल/वृक्ष के मुआवजे की दर, सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
5	बिजली की लाईन व बिजली टावर के बीच आने वाले पेड़ों, खेजडी, नीम, बबूल देशी की मुआवजा दर अलग-अलग बतायें।	उक्त लाइन के निर्माण के दौरान अपरिहार्य क्षति/फसल/वृक्ष के मुआवजे का भुगतान राजस्व प्राधिकरण के भू-स्वामित्व सत्यापन और दर के अस्थाई आदेशो द्वारा आकलन के अनुसार किया जाता है।

.....2

6.	प्रधानमंत्री सड़क पर आये खसरा न. खेत की मुआवजा दर कितनी है।	प्रधानमंत्री सड़क पर आये खसरा न. खेत में उक्त लाइन के निर्माण के दौरान अपरिहार्य क्षति/फसल/वृक्ष का नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है।
7	उक्त बिजली लाईन व टावर निर्माण से पूर्व सर्वे किया गया तो क्या खेत मालिक को अवगत करवाया जाता है या नहीं।	उक्त लाइन के निर्माण के दौरान खेत मालिक को होने वाली क्षति हेतु नोटिस जारी किया जाता है।
8	जहाँ पर बिजली का टावर निर्माण किया जायेगा उस खेत मालिक को निर्माण से पूर्व सूचना दी जाती है या नहीं।	उक्त लाइन के निर्माण के दौरान खेत मालिक को होने वाली क्षति हेतु नोटिस जारी किया जाता है।
9	उस खेत में खड़ी फसल की मुआवजा दर क्या है।	उक्त लाइन के निर्माण के दौरान अपरिहार्य क्षति/फसल/वृक्ष के मुआवजे का भुगतान राजस्व प्राधिकरण के भू-स्वामित्व सत्यापन और दर के अस्थाई आदेशों द्वारा आकलन के अनुसार किया जाता है।
10	टावर व बिजली लाईन लगने वाले खेत मालिक को मुआवजा कितनी किस्तों में दिया जाता है।	उक्त लाइन के निर्माण के दौरान अपरिहार्य क्षति का नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है।
11	मुआवजा सम्बन्धी आदेश खेत मालिक को पूर्व में दिया जाता है या नहीं अगर नहीं तो क्यों नहीं दिया जाता।	उक्त लाइन के निर्माण के दौरान वास्तविक अपरिहार्य क्षति का आंकलन क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल के मापन के उपरान्त होने वाले क्षति के आधार पर देय है।
12	पावरग्रिड लाईन स्वीकृति आदेश व सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति आदेश हिन्दी में दिलावे।	पावरग्रिड लाईन स्वीकृति आदेश व सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति आदेश संलग्न है।
13	टावर का प्लेटफार्म कार्य किस कम्पनी द्वारा किया जा रहा है व टावर प्लेटफार्म कार्य पूर्ण की समय सीमा क्या है।	टावर का प्लेटफार्म कार्य लारशन और टुब्रो (L&T) कम्पनी द्वारा किया जा रहा है व टावर प्लेटफार्म कार्य पूर्ण की समय सीमा जून-2024 है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,

कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

[जी. पी. पग्रासी]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

I/10152/2020



भारत सरकार

Government of India

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority

विद्युत पूर्णाली योजना एवं मूल्यांकन -I प्रभाग

Power System Planning & Appraisal-I Division

सेवा में/ To

Chief Executive Officer
PFC Consulting Ltd.,
Urjanidhi, I, Barakhamba Lane,
Connaught Place,
New Delhi - 110001

विषय : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1)के तहत M/s Bhadla - Sikar Transmission Limited की पारंपण योजना "Transmission System Strengthening Scheme for Evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part E" के लिये भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन सम्बंधित

Subject: Prior approval under Section 68(1) of Electricity Act, 2003 to M/s Bhadla - Sikar Transmission Limited for the transmission line under the scheme "Transmission System Strengthening Scheme for Evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part E" - regd.

संदर्भ/References: PFC Consulting Ltd letter no. 04/ITP-39/20-21/R/P dated 21.05.2020

Sir / Madam,

Reference is invited to PFC Consulting Ltd letter under reference, seeking prior approval of Government of India under Section 68 (1) of Electricity Act, 2003, in favor of SPV M/s Bhadla - Sikar Transmission Limited for the transmission scheme "Transmission System Strengthening Scheme for Evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part E" with following scope of works:

S. No.	Name of Transmission Element
1.	Bhadla-II PS – Sikar-II 765kV D/c line (2 nd)
2.	2 no. of 765 kV line bays each at Bhadla- II and Sikar-II for Bhadla-II PS – Sikar-II 765kV D/c line <ul style="list-style-type: none"> • 765 kV line bays – 4
3.	1x330 MVAR switchable line reactor for each circuit at Sikar-II end of Bhadla-II PS – Sikar-II 765kV D/c line <ul style="list-style-type: none"> • 330 MVAR, 765 kV reactor- 2 • Switching equipment for 765 kV reactor - 2

I/10152/2020

4.	<ul style="list-style-type: none"> 1x240MVA/ switchable line reactor for each circuit at Bhadla-II end of Bhadla-II PS – Sikar-II 765kV D/c line • 240 MVA/ 765 kV reactor- 2 • Switching equipment for 765 kV reactor - 2
----	---

2. The above mentioned scope of works have been deliberated and agreed in the 5th meeting of Northern Region Standing Committee on Transmission (NRSCT) held on 13.09.2019 at New Delhi. Subsequently, in the 6th meeting of the National Committee on Transmission (NCT) held on 30.09.2019, the above scheme was decided to be taken up through Tariff Based Competitive Bidding. MoP has appointed M/s PFC Consulting Ltd. as Bid Process Coordinator (BPC) for the above scheme vide Gazette notification dated 24.01.2020.
3. CEA conveys prior approval of Government under Section 68(1) of Electricity Act, 2003 to M/s Bhadla - Sikar Transmission Limited for implementation of the following overhead transmissionline under the scheme "Transmission System Strengthening Scheme for Evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part E":

(i) Bhadla-II PS – Sikar-II 765kV D/c line (2nd)

4. This approval is subject to compliance of
 - a.a) The relevant provisions of the Act, as amended from time to time and the rules and regulations made there under, and
 - a.b) CEA (Measures relating to Safety and Electrical Supply) Regulations, 2010 and any subsequent amendments made thereto.
5. The approval is also subject to the following conditions:
 - (i) The implementing agency will commence construction of the project within three years of grant of approval, unless this term is extended by the Central Electricity Authority.
 - (ii) Central Electricity Authority may withdraw the approval before the expiry of the period of three years after giving a one-month notice.
 - (iii) The implementing agencies shall abide by the provisions of Works of Licensee Rules, 2006 notified by the Govt. of India, Ministry of Power in the Gazette of India, extra-ordinary Part-II, Section 3(i) dated 18-04-2006 (vide GSR 217 (E) dated 18-04-2006).

भवदीय/ Yours faithfully,

Signature Not Verified
Digitally signed by P. C. KUREEL
Date: 2020.06.16 13:50:33 IST

(पी. सी. कुरील / P.C. Kureel)

सचिव/ Secretary, के.वि.पू./CEA

प्रति लिपि / Copy to: -

- (i) Joint Secretary (Trans), Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
- (ii) PPS to Secretary, CEA